17 AUG 2019

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Module – 4)

निर्धारित समयः तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)–M–**GS14**

अधिकतम अंकः 250
Maximum Marks: 250

Name: SUNIL **Mobile Number:**

Medium (English/Hindi): HINDI **Reg. Number:** AWAKE-19/B013

Center & Date: DELHI 16/08/19 **UPSC Roll No.** ***(If allotted)***: 7105724

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. भारत में सहकारी संघवाद के संबंध में कौन-से संवैधानिक प्रावधान हैं? साथ ही प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग द्वारा हाल ही में किये गए कुछ उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

What are the Constitutional provisions regarding cooperative federalism in India? Also discuss some of the recent measures taken by NITI Aayog to foster competitive federalism. (150 words) 10

सहकारी संघवाद = संघवाद (केन्द्र व राज्य स्तर पर पृथक-पृथक सत्तायुक्त सरकारें, जो एक-दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं) का ऐसा रूप जिसमें केन्द्र व राज्य स्थानीय सरकार एक-दूसरे के लक्ष्यों में समन्वीकरण करके साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण को बढ़ाते हैं।

इस हेतु संवैधानिक प्रावधान

(i) अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन।

(ii) अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान।

(iii) अनुच्छेद 258 व 258(A) के तहत केंद्र व राज्य सरकार की एक-दूसरे को अपनी शक्ति सौंपने की प्रास्थिति।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(iv) अनुच्छेद 279(A) के तहत जी.एस.टी. काउंसिल का गठन।

(v) अखिल भारतीय सेवाओं निर्वाचन आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा।

प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग की पहलें-

(i) स्वस्थ राज्य - प्रगतिशील भारत, स्वास्थ्य परिणाम प्रदर्शन सूचकांक द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा।

(ii) समग्र जल प्रबंधन सूचकांक द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।

(iii) आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम द्वारा एक-दूसरे की Best practices को अपनाने को बढ़ावा देना, डेल्टा रैंकिंग।

(iv) SATH- कार्यक्रम।

(v) AMFRI (किसानों के लिए) सूचकांक।

इनसे प्रतिस्पर्धी के साथ सहकारी संघवाद मजबूत हुआ है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. सोशल मीडिया के युग में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) का प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्पष्ट कीजिये। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किये गए कुछ उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Enforcement of Model Code of Conduct (MCC) has become challenging in the era of social media. Elucidate. Also mention some of the measures taken by the Election Commission of India in this regard. (150 words) 10

आदर्श आचार संहिता = राजनीतिक दलों द्वारा आपसी सहमति से निर्मित नियमों का समूह, जिनका पालन पारदर्शी, भेदभावरहित चुनाव प्रक्रिया के संचालन हेतु किया जाता है।

- प्रारंभिक स्वरूप 1960 में केरल विधानसभा में।
- 1967 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर लागू।
- वर्तमान में वैधानिकतः बाध्यकारी नहीं।

एम.सी.सी. के प्रवर्तन में चुनौती -

सोशल मीडिया -

(i) प्रावधान कि चुनाव मतदान शुरू होने के 36 घंटे पहले प्रचार बंद, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रचार जारी रहता। RPA (126 A) का उल्लंघन।

(ii) सोशल मीडिया पर जाति धर्म,

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

वर्ग आदि को संबोधित कर भड़काऊ पोस्ट। RPA (123) का उल्लंघन।

(iii) वर्तमान में सोशल मीडिया विनियमन हेतु RPA में पर्याप्त प्रावधानों का अभाव।

(iv) सोशल मीडिया पर लोगों को लुभाने वाली घोषणाएं करना, जबकि व्यवहारत: असंभव।

(v) इस प्रक्रिया में होने वाले खर्च पर निगरानी का अभाव।

EC द्वारा उपाय -

(i) इस संबंध में RPA में संशोधन हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजना।

(ii) एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना।

(iii) IT Act के प्रयोग द्वारा विनियमन

(iv) EC + IAMAI द्वारा स्वविनियमन के प्रयास।

इससे चुनावों में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. किन परिस्थितियों में एक विधायक को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है? क्या आप सहमत हैं कि इसके लाभप्रद परिणाम के अपेक्षाकृत दुष्प्रभाव अधिक हैं? (150 शब्द) 10

What are the circumstances under which a legislator can be disqualified under anti-defection law? Do you agree that it has caused more harm than good? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दल-बदल विरोधी कानून = 1985 में राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हेतु दलों को छोड़ने-जुड़ने को रोकने हेतु निर्मित। 2003 में संशोधन।

अयोग्यता -

(i) किसी सदस्य के सदन में सदस्य संख्या के 2/3 भाग से कम सदस्यों द्वारा दल के प्रति प्रतिबद्धता को छोड़ना।

(ii) निर्दलीय विधायक द्वारा किसी दल से जुड़ना। (सरकार में पद धारण करना अयोग्यता नहीं)

(iii) मनोनीत विधायक द्वारा 6 माह के बाद किसी दल में शामिल होना।

अयोग्यता का निर्धारण स्पीकर/अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

दुष्प्रभाव -

(i) छोटे दलों पर प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं।

(ii) विधायकों के ऊपर दलीय नियंत्रण में वृद्धि।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(iii) स्पीकर पद की गरिमा कायम। जैसे हाल ही में कर्नाटक विधानसभा का मामला।

लाभ-
(i) विधायकों की खरीद-फरोख्त में कमी।
(ii) स्थिर सरकारों का निर्माण।
(iii) विधायकों पर जनता के विश्वास में वृद्धि → स्वस्थ राजनैतिक संस्कृति का विकास।
(iv) राजनीति के अपराधीकरण में कमी।

वस्तुतः कुछ सीमाओं के साथ लाभ अधिक है।

सुझाव-
(i) मामलों के निर्णय की समय सीमा तय करना।
(ii) स्पीकर की बजाय EC व राष्ट्रपति/राज्यपाल को मामलों का हस्तांतरण।
(iii) जाँच प्रक्रिया में तेजी लाना।
(iv) दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

4. राष्ट्रपति और राज्यपालों के अध्यादेश लागू करने की शक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं? साथ ही अध्यादेश लागू करने की शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु संरक्षोपायों का उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

What are the various issues around ordinance making power of President and Governors? Also discuss the safeguards which are in place to prevent misuse of ordinance making power. (150 words) 10

अध्यादेश = एक कार्यपालिका आदेश, जिसकी शक्ति निश्चित कालावधि के लिए विधायिका के कानून के समान होती है।

प्रावधान = राष्ट्रपति = अनुच्छेद 123
राज्यपाल = अनुच्छेद 226

अध्यादेश लागू करने की शक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे –

(i) विधायिका को बायपास करने हेतु प्रयुक्त किया जाना → संसदीय गरिमा व प्रतिष्ठा को क्षति।

(ii) कार्यपालिकीय निरंकुशता में वृद्धि।

(iii) बार-बार अध्यादेश लाने के बारे में संविधान में अस्पष्टता।

(iv) कुछ विषयों में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति को प्रेषित करना → कई बार दुरुपयोग किया जाना → सरकारि

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संघवाद की क्षति।

(v) राज्यों में विधानसभा भंग होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का प्रयोग जो जनमत की भावना के अनुरूप नहीं।

संरक्षोपाय -

(i) केवल एक या दोनों सदनों के सत्र में न होने पर ही प्रयुक्त। दोनों सदनों के सत्र में होने पर प्रयुक्त नहीं।

(ii) अधिकतम 6 माह तक ही प्रभावी। सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर सदनों से पारित होना जरूरी।

(iii) न्यायालय द्वारा संवैधानिक पुनरीक्षण संभव।

(iv) राष्ट्रपति असहमति प्रकट कर सकता है (एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है)।

सारांशतः अध्यादेश जैसे प्रावधानों का प्रयोग जनहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. लोकपाल के कर्त्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं? क्या लोकपाल का पद सरकार और अन्य, जिनकी जाँच हेतु इसे आज्ञापित किया गया है, से स्वतंत्र है? (150 शब्द) 10

What are the duties and powers of Lokpal? Is the office of the Lokpal independent of the government and others whom it is mandated to scrutinise? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लोकपाल = एक संस्था जो सरकार में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखती है, कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है तथा जनता की शिकायतों का समाधान करती है।

- प्रारंभिक उदय = स्वीडन में ओम्बुड्समैन के रूप में (1805)।
- भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल शब्द का प्रथम प्रयोग किया।
- लोकपाल अधिनियम द्वारा पद का सृजन।

कर्त्तव्य व शक्तियाँ -

(i) सरकार में उच्च स्तर के पदों से संबंधित भ्रष्टाचार मामलों की जाँच करना, संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार।

(ii) जाँच कर मामले को न्यायालय को संदर्भित करना।

(iii) जाँच के समय जाँच एजेंसी पर लोकपाल का नियंत्रण। उनकी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सहमति के बिना जाँच अधिकारियों को हटाया नहीं जा सकता।

(iv) लोकपाल को स्वयं की जाँच एजेंसी गठन का अधिकार।

(ख) सरकार से स्वतंत्रता -

(i) पदावधि के दौरान वेतन भत्तों, सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं।

(ii) नियुक्ति प्रक्रिया को व्यापक, पारदर्शी बनाया जाना। समिति के माध्यम से चयन।

(iii) ~~पदमुक्ति~~ हेतु लोकसभा में 100 पद से हटाने सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव व उच्चतम न्यायालय की जाँच आवश्यक।

(iv) वेतन का संचित निधि पर भारित होना।

यद्यपि संवैधानिक स्थान न दिए जाने, गैर न्यायिक सदस्यों की उपस्थिति स्वतंत्रताओं को कुछ सीमित करती हैं, तथापि पर्याप्त स्वतंत्रता दृष्टिगोचर होती है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

6. भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं को गिनाइये। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सुशासन = शासन में कुछ अन्य तत्वों * जैसे - जन सहभागिता, पारदर्शीता आदि को बढ़ाना, ताकि लोककल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, विकास प्रशासन को संभव बनाया जा सके।

बाधाएँ -

(i) भ्रष्टाचार के कारण प्रशासन के जन-जुड़ाव में कमी।

(ii) शासन - प्रशासन की अभिजन वादी प्रवृत्ति।

(iii) कानूनी जटिलताएँ व गोपनीयता की संस्कृति → निरंकुशता में वृद्धि। जैसे OSA (1923)।

(iv) सामाजिक अंकेक्षण, RTI, नागरिक अधिकार पत्र जैसे तत्वों / कानूनों की कमजोर स्थिति।

(v) राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव। दलीय राजनीति।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(vi) जन जागरूकता का निम्न स्तर।
(vii) जटिल न्यायिक प्रणाली → मामलों का शीघ्र निपटान नहीं।
(viii) गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएँ → प्रशासन व शासन जनता के मुद्दे उपेक्षित रह जाते है।

सुशासन के लिए आवश्यक पूर्वशर्तें

(i) संस्थागत संरचना को सशक्त बनाना।
(ii) कार्यों के प्रति जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व तय करना।
(iii) कार्य की दक्षता, प्रभावोत्पादकता, समयबद्धता सुनिश्चित करना।
(iv) शासन में करुणा, भावनात्मक समझ जैसे तत्वों को बढ़ाना।
(v) प्रक्रियागत जटिलता कम करना शासन-प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर समावेशन बढ़ाना।

ऐसी स्थिति जन सहभागी प्रशासन को संभव बना सकती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation
उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

7. अनुच्छेद 370 की संवैधानिक स्थिति क्या है? वर्तमान परिदृश्य में इससे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

उपाय

What is the Constitutional status of Article 370? Discuss issues and challenges related to it in the current scenario. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

अनुच्छेद 370 = अस्थायी, विशेष तथा संक्रमणकालीन उपबंध (अध्याय 21) के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित अनुच्छेद।

- उद्देश्य = विशेष परिस्थितियों में विलय के कारण राज्य को अतिरिक्त आंतरिक स्वायत्तता देना।
- इंदिरा गाँधी - अब्दुल्ला समझौता (1975) के बाद इसे और स्पष्ट बनाया गया।
- इसके तहत केंद्रीय कानून व संविधान संशोधन राष्ट्रपति के विस्तार द्वारा ही राज्य पर लागू होते है।
- हटाने हेतु प्रावधान = जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा लोक-घोषणा।

वर्तमान में इससे संबंधित मुद्दे -

(i) इस अनुच्छेद को स्थायी या अस्थायी मानने संबंधित वाद-विवाद।

(ii) अनुच्छेद के कारण जम्मू-कश्मीर

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

के शेष भारत के साथ संबंधों से जुड़े प्रश्न।

(iii) मूलाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा जैसे अनुच्छेद 14, 21, 19।

चुनौतियाँ -

(i) जम्मू कश्मीर में निजी निवेश का अत्यंत न्यून स्तर।

(ii) आंतरिक कानून व्यवस्था का कमजोर होना। सीमापार आतंकवाद में वृद्धि।

(iii) भारत से अलगाव की बढ़ती विचारधारा के कारण संकटग्रस्तता।

(iv) महिला भेदभावों का प्रश्न जैसे विवाह उपरांत संपत्ति हस्तांतरण का निषेध।

इन्हीं कारण हाल ही में अनुच्छेद 370 के एक प्रावधान को छोड़ शेष सभी को हटा दिया गया है तथा जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के रूप में दो पृथक् केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. आपके अनुसार भारत में लोक सेवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख विकार कौन-से हैं? क्या लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) इनमें से कुछ विकारों का समाधान कर सकता है? (150 शब्द) 10

What do you think are some of the major ailments afflicting civil services in India? Can lateral entry in civil services address some of these ailments? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोक सेवा :- लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को पूरा करने वाला अधिकारियों व कर्मचारियों का संवर्ग। आधुनिक स्वरूप मैक्सवेबर द्वारा दिया गया।

भारत में लोक सेवा को प्रभावित करने वाले विकार -

(i) प्रशासन - प्रशासन की अभिजनवादी प्रवृत्ति।
(ii) राजनीतिक दबाव।
(iii) सामान्यज्ञ - विशेषज्ञ संतुलन का अभाव।
(iv) प्रक्रियागत जटिलताएँ।
(v) परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन क्षमता का अभाव।
(vi) अग्रसक्रिय दृष्टिकोण का अभाव
(vii) जन-जुड़ाव, जन-सहभागिता के प्रति उदासीन दृष्टिकोण।
(viii) अपारदर्शिता, उत्तरदायित्वविहीनता की स्थिति।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

पार्श्व प्रवेश : कॅरियर आधारित भर्ती प्रणाली के स्थान पर पद आधारित भर्ती प्रणाली की प्रक्रिया।

• पद विशेष के लिए निश्चित समय हेतु अर्ह व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है।

• हाल ही में संयुक्त सचिव के पद हेतु इस प्रणाली का प्रयोग किया गया।

लाभ -

(i) पारंपरिक नौकरशाही निरंकुशता में कमी।

(ii) नवाचार का समावेशन। निजी क्षेत्र की Best practices का आना।

(iii) पहले से कार्यरत लोक सेवकों में दक्षता, प्रतिस्पर्धता में वृद्धि।

(iv) समावेशन संस्कृति को गति।

यद्यपि लूट प्रणाली, आरक्षण पर अस्पष्टता, आंतरिक असंतोष जैसे मुद्दे भी प्रकट हुए हैं, तथापि पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, निश्चित मानदंडों का प्रकटीकरण आदि द्वारा इनके लाभों को अधिकतम किया जा सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. एक कमज़ोर विपक्ष सत्ताधारी सरकार को तो खुश कर सकता है परंतु यह लोकतंत्र के हितों को नहीं साधता है। भारत में हालिया आम चुनावों के परिणाम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

A weak opposition may make the government of the day happy but it does not serve the cause of democracy. Discuss the statement in light of the outcome of recent general elections in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

विपक्ष = अल्पमत वाला दल, जो सरकार में सम्मिलित नहीं होता है तथा सदन में सरकार के विरोधी की भूमिका निभाता है।

हालिया आम चुनाव के परिणाम -

किसी भी एक दल द्वारा विपक्ष निर्माण हेतु आवश्यक सदस्य संख्या (कुल सदन की सदस्य संख्या का न्यूनतम 10%) प्राप्त नहीं की गई।

कमजोर विपक्ष के निहितार्थ -

(i) सरकार की निरंकुशता में वृद्धि।

(ii) रचनात्मक विरोध की संस्कृति में गिरावट।

(iii) संसदीय समितियां, विभागीय समितियों में सरकार के प्रभुत्व में वृद्धि → संस्थाएँ कमजोर होने लगती है।

(iv) कमजोर विपक्ष → कार्यपालिका

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

की शक्ति में वृद्धि होने से विधायिका शक्ति का ह्रास होने लगता है।

(v) कमजोर विपक्ष → राज्य हितों को सशक्तता से प्रकट व प्रतिनिधित्व न दे पाता → सहकारी संघवाद भी प्रभावित होने लगता है।

(vi) सरकार द्वारा अपनी मर्जी से कानून निर्माण → केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है।

लाभ -

(i) सरकार द्वारा निर्णयन गति में वृद्धि। तत्काल निर्णय लेना संभव।

(ii) लक्ष्यों के एकीकरण को बढ़ाता।

तथापि कमजोर विपक्ष संभावित हानियां अधिक रखता है। अतः एक प्रभावी व मजबूत विपक्ष ही भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शासन-प्रशासन को सृजनात्मक व उत्तरदायी बना सकता है; चेक-संतुलन को क्रियान्वित कर सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के निर्धारण हेतु अनुपालित मानदंडों का उल्लेख कीजिये। उनके द्वारा किन मुद्दों का सामना किया जाता है? साथ ही इन मुद्दों के समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द) 10

State the criteria followed for the determination of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). What are the issues faced by them? Also mention the measures taken by the government to address these issues. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

= 1973 में ढेबर आयोग की सिफारिश पर 1975 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक सूची जारी

· वर्तमान में 75 जनजातियाँ शामिल।

· सर्वाधिक > ओडिशा = 13
आन्ध्रप्रदेश = 12

- 18 राज्य व 1 UT में विस्तारित।

मानदंड -

(i) बहुत कम जनसंख्या / कम होती जनसंख्या।

(ii) आदिम कृषि।

(iii) भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्र में निवास।

(iv) आधुनिक अर्थव्यवस्था व जीवन पद्धति का अभाव।

(v) अति न्यून साक्षरता दर।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

मुद्दे –

i) राजनीतिक प्रतिनिधित्व न के बराबर
ii) अति प्रशासन की समस्या।
iii) तस्करी, नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में वृद्धि।
iv) समाज की मुख्य धारा से कटाव।
v) जबरन धर्मांतरण की घटनाएँ।
vi) वैश्वीकरण, संस्कृतिकरण के कारण सांस्कृतिक विशेषताओं का ह्रास।

उपाय –

i) 'PVTG के विकास हेतु केंद्रीय सेक्टर योजना' को लागू किया जाना।
ii) विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र), 1958; विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र), 1963 आदि प्रावधान।
iii) PVTG हेतु आयोग गठन।
iv) स्थानीय ज्ञान संरक्षण के प्रयास। जैसे भौगोलिक संकेतक (GI)।

इससे इस वर्ग को अपनी विशेषताओं को बनाए रखने व उचित जीवन निर्वाह के अधिकार को शक्ति मिली है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप, 2019 भारत के शिक्षा क्षेत्र को एक नया आकार दे सकता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Draft National Education Policy, 2019 can give a new shape to India's education sector. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

नवीन शिक्षा नीति (1986) के लगभग तीन दशक पुराने हो जाने के कारण वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु K. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप (2019) को प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख प्रावधान

(i) विद्यालयी शिक्षा हेतु 5-3-3-4 वर्ष के पैटर्न का प्रावधान।

(ii) RTE का विस्तार कर 18 वर्ष उम्र तक के बच्चों को शामिल करना।

(iii) उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक अनुसंधान एजेंसी का गठन।

(iv) उच्च शिक्षा क्षेत्र के 4 कार्यों क्रमशः- विनियमन, मान्यता देना, मानक निर्धारण, वित्तीयन का 4 संस्थाओं में विभाजन।

(v) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन आदि

संभावित लाभ -

i) बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा व मजबूतीकरण → drop out rate में कमी आएगी।

ii) नए पैटर्न से स्कूली शिक्षा में निरंतरता में वृद्धि होगी → बच्चों की सीखने की क्षमता में वृद्धि।

iii) शिक्षक प्रशिक्षण पर बल → outcome रणनीति को बल मिलेगा।

iv) शिक्षा प्रशासन में सुधार → राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी आएगी। शिक्षा व्यावहारिक, वैश्विक व रोजगारपरक संवेदनशीलता में सहायक होगी।

v) 5G, AI, ब्लॉकचेन तकनीक आदि आवश्यकता के क्षेत्र में बढ़ती, विकास व मानवीय श्रम की आवश्यकता पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी → IPR जनन में वृद्धि होगी।

vi) अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के जुड़ाव बढ़ेगा → शिक्षा का मानकीकरण होगा। कौशल विकास में वृद्धि। विदेशी मुद्रा भण्डार भी बढ़ेगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संभावित चुनौतियाँ –

(i) त्रिभाषा मुद्दे पर उभार विवाद इससे बच्चों पर अध्ययन का बोझ भी बढ़ सकता है और दक्षिण, पूर्वोत्तर के राज्य – उत्तर के राज्यों के बीच असंतोष में भी वृद्धि हो सकती है।

(ii) पाठ्यक्रम सुधार पर विशेष ध्यान नहीं।

(iii) सहशैक्षणिक गतिविधियों पर अपेक्षा अनुरूप ध्यान नहीं।

(iv) स्कूली भौतिक अवसंरचना में सुधार हेतु वित्तपोषण के उपायों पर बल नहीं।

(v) RTE में आरक्षण समाप्ति की संस्तुति
→ पहले ही क्रियान्वयन कमजोर है। जैसे वर्तमान में 12% EWS छात्र ही इसमें शामिल, [सरकार = 25%] प्रावधान।

उपाय –

(i) वित्त पोषण उपायों पर ध्यान संकेंद्रण। जैसे PPP के नए मॉडल, केंद्र-राज्य-स्थानीय संस्थाओं द्वारा समन्वित कोष निर्माण।

(ii) तकनीकी के बेहतर समावेशन पर बल।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. "सामाजिक अंकेक्षण परिकल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में सहायता प्रदान करता है।" इस कथन का परीक्षण कीजिये और भारत में सामाजिक अंकेक्षण को प्रणालीबद्ध करने में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Social audit helps to narrow gaps between vision and reality." Examine the statement and also discuss the impediments in institutionalization of social audit in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण : लाभार्थियों की मदद से नागरिक समाज द्वारा सरकारी कार्यों की जाँच करने की प्रविधि।
- 1960 के दशक में अमेरिका में शुरू प्रणाली।
- भारत वैधानिकता : प्रथम बार मनरेगा में लागू।
- 2017 में मेघालय द्वारा राज्य स्तर पर वैधानिक दर्जा दिया गया।

लाभ -

(i) कार्य करने वाले व लाभार्थी की सहायता से ही कार्य का अंकेक्षण → प्रशासन द्वारा कार्य के संबंध में किए गए आंकलन से तुलना संभव हो पाती है। इससे वास्तविक स्थिति तथा परिकल्पित स्थिति के बीच अंतर कम होने लगता है।

(ii) प्रशासन को भी नए आंकड़ों

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

आँकड़ों की प्राप्ति → बेहतर योजना निर्माण सम्भव। योजना में सैद्धांतिकता व व्यावहारिकता का अंतर कम होने लगता है।

(iii) प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेहिता में वृद्धि → प्रशासन में सिद्धांत-व्यवहार का अंतराल खत्म होने लगता है।

(iv) प्रशासनिक कार्यों में जन-भागीदारी में वृद्धि → जन सहभागी प्रशासन व्यवहार में आने लगता है।

(v) नागरिक समाज का सशक्त होना → जनता की रचनात्मक क्षमता तथा संगठनिक माँग वास्तविकता में बदलने लगती है।

बाधाएँ-

(i) सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का बाध्यकारी न होना।

(ii) जटिल लेखांकन प्रक्रिया → समझने व विश्लेषित करने में कठिनाई।

(iii) प्रशासन का असहभागी रवैया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

iv) सोशल ऑडिटिंग यूनिट्स (SAUs) (जो शिक्षित लोगों का समूह होती है, जनता को आँकड़ों को समझाती है) पर राजनीतिक दबाव; निश्चित मानदंडों का अभाव।

v) न्यून साक्षरता व जागरूकता के कारण कम जनभागीदारी।

उपाय -

i) मेघालय की तरह वैधानिक स्वरूप दिया जाना (राष्ट्रीय स्तर पर)

ii) SAUs को प्रशिक्षण देना।

iii) अलग से निदेशालय की स्थापना, ताकि दक्षता बढ़ सके (निधि आयोग की सिफारिश)।

iv) अधिकाधिक योजनाओं में लागू करना।

v) जन जागरूकता का विस्तार।

उपरोक्त प्रयास सामाजिक अंकेक्षण को मजबूत बनाकर उत्तम शासन की दिशा में कदमों को गति प्रदान कर सकते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

13. 73वाँ संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के समक्ष आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों को हल करने में नाकाम रहा है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

73rd Amendment Act has failed to address the systemic challenges faced by Panchayati Raj Institutions (PRIs). Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप देने के लिए 73 वें संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया।

प्रावधान -

(i) ग्रामसभा का गठन।

(ii) त्रिस्तरीय संरचना।

(iii) प्रति 5 वर्ष पर चुनाव।

(iv) राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य वित्तीय आयोग का गठन।

(v) वंचित वर्गों को आरक्षण।

महत्व -

(i) आधारिक लोकतंत्र प्राप्ति की तरफ बढ़ते कदम।

(ii) जनता व प्रशासन के बीच की दूरी का कम होना।

(iii) जनता की रचनात्मक क्षमता का उपयोग संभव।

(iv) वंचित वर्गों का मुख्यधारा से जुड़ाव → सामाजिक संघर्षों में कमी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

iv) शासन-प्रशासन की आपेक्षिता में वृद्धि।

समस्याएं -

i) पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय अधिकार सुनिश्चित न करा पाना → राज्यों पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है।

ii) पृथक् कार्मिक सेवा का निर्माण नहीं → राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण में वृद्धि।

iii) आरक्षण प्रणाली का लाभ कुछ लोगों द्वारा ही उठा लिया जाना। पंचायत सरपंचपति की अवधारणा → सामाजिक न्याय प्राप्ति को ठेस।

iv) जिला व राज्य प्रशासन की मनोवृत्ति को न बदल पाना।

v) कार्यकरण में स्वतंत्रता का अभाव या पंचायत मर्जी से धन खर्च नहीं कर पाती है।

vi) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) जैसे पैरास्टेटल्स के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कारण पंचायतों की भूमिका का ह्रास।

(vii) जिला परिषदों में राजनीतिकता का अभाव, नौकरशाही को पर्याप्त शक्तियाँ। जन प्रतिनिधि वास्तविक सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में इस संशोधन ने स्थानीय स्वराज्य को सुनिश्चित किया है, तथापि कुछ अन्य प्रयास और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं जैसे-

(i) पंचायतों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि।

(ii) सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रावधानों को मजबूत करना।

(iii) नियमित चुनाव सुनिश्चित करना।

(iv) प्रतिवेदनों पर राज्य विधानसभा में चर्चा।

(v) लेखांकन व अंकेक्षण प्रणाली का सशक्तीकरण।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. किसी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और जवाबदेह न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों का सर्वोत्तम संरक्षोपाय है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

An independent and accountable judiciary is the best safeguard of citizens' rights in a democracy. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायपालिका साकार (राज्य के एजेण्ट) का मुख्य अंग है, जो कार्यपालिका व विधायिका की तानाशाही से लोगों की स्वतंत्रता व उनके अधिकारों का संरक्षण करती है।

लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता संप्रभु होती है, परंतु अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व (जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व) की स्थिति में संघर्ष व मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में न्यायपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण को सुनिश्चित करती है।

स्वतंत्र व जवाबदेह न्यायपालिका से नागरिक अधिकार संरक्षण -

1) स्वतंत्र न्यायपालिका → विधायिका हस्तक्षेप न होने से निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जाँच हो पाती तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अनुरूप न होने पर रद्द भी किया जा सकेगा जैसे प्रति संशोधन के अनेक प्रावधान।

(ii) स्वतंत्र न्यायपालिका → कार्यपालिका हस्तक्षेप न होने से न केवल कार्यपालिका कार्यों का निरीक्षण हो सकता है, बल्कि कुछ सकारात्मक कार्यों हेतु उसे निर्देश भी दिया जा सकता है। जैसे PIL, JA।

(iii) स्वतंत्र न्यायपालिका → शक्ति-पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप → जनता के विश्वास में वृद्धि होती है। न्यायपालिका की दक्षता भी बढ़ती है।

(iv) जवाबदेह न्यायपालिका → न्यायिक निरंकुशता पर लगाम → अवमानना जैसी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो पाता है।

(v) जवाबदेह न्यायपालिका प्रशासन में अतिहस्तक्षेप से बचकर न्यायिक संयमता का पालन कर सकती है। इससे विकास कार्यों की समय पर पूर्ति से जन अधिकारों का

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं ... चाहिये।

(Candidate m... write on this m...)

संरक्षण हो पाता है।

(vi) जनवादिद न्यायपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखने के कारण संविधान की परिस्थिति अनुरूप व्याख्या कर पाती है। जैसे निजता का अधिकार। केस = (i) अनुच्छेद 50
(ii) अनुच्छेद 122
(iii) कॉलेजियम

वर्तमान समस्याएँ —

(i) वंचित वर्गों व महिलाओं का आनुपातिक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

(ii) सरकार के अन्य अंगों से बढ़ता संघर्ष।

(iii) न्यायपालिका में आंतरिक संघर्ष। भ्रष्टाचार के मामले।

(iv) नियुक्ति प्रक्रिया में अपारदर्शिता।

उपाय — (i) न्यायिक लोकपाल।

(ii) listing pattern में सुधार।

(iii) आंतरिक नियंत्रण में वृद्धि।

इनसे न्यायपालिका के अधिकारों की संरक्षणकारी भूमिका और सशक्त होगी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. स्वयं सहायता समूह गरीबों को सूक्ष्म वित्त सेवाओं के वितरण के लिये सबसे प्रभावी तंत्र के रूप में उभरे हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

Self-Help Groups have emerged as the most effective mechanism for delivery of microfinance services to the poor. Critically examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वयं सहायता समूह = 10-20 लोगों का समूह, जो निश्चित उद्देश्य प्राप्ति (सामान्यतः आर्थिक गतिविधि) की पूर्ति हेतु साथ आते हैं तथा मिलकर कार्य करते हैं।

- वर्तमान में देश में लगभग 1cr SHG कार्यरत है।
- मुख्यतः महिलाओं द्वारा इनका निर्माण किया जाता है।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा सूक्ष्म वित्त सेवाओं का वितरण व पहुँच

(i) SHGs द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन। जैसे हस्तशिल्प उद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन। इनसे वित्तीय समावेशन को गति मिली है।

(ii) एकीकृत रूप से कार्य → क्षमता

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

व कार्यकुशलता में वृद्धि से प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि। इनसे बाजार पहुँच में भी वृद्धि हुई है।

(iii) SHG Bank linkage कार्यक्रम (नाबार्ड द्वारा) से वित्त पोषण में मदद। फलतः अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है।

(iv) SHG व PRI के बीच सामंजस्य द्वारा वित्त निर्माण वितरण व पहुंच को और अधिक सशक्त किया जा रहा है। इनसे दोनों की स्थिति मजबूत हुई है।

(v) SHG द्वारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसे कार्यक्रमों का संचालन संभव। इससे न केवल वित्तीय समावेशन बढ़ा है, बल्कि रोजगार गतिविधियों में भी इजाफा हुआ है। जैसे स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(iv) SHG द्वारा ग्रामीण महिलाओं तक वित्त पहुँच → महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में वृद्धि।

सीमाएँ-

(i) गाँवों में बैंकिंग प्रणाली की पहुँच, विस्तार का अभाव।

(ii) डिजिटल साक्षरता की कमी।

(iii) धोखाधड़ी के बढ़ते मामले।

(iv) अभी भी अपर्याप्त औपचारिक ऋण पहुँच।

(v) SHG का पर्याप्त सशक्त न होना।

उपाय-

(i) ई-शक्ति नीति द्वारा डिजिटलीकरण।

(ii) PMGDISHA कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा।

(iii) SHG को निःसंपार्श्विक ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 1 cr किया जाना।

(iv) सूक्ष्म वित्त संस्थानों का सहयोग लिया जाना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. भारत जैसे देश में आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के लिये संतुलित क्षेत्रीय विकास अति आवश्यक है। 'आकांक्षी ज़िलों के परिवर्तन' कार्यक्रम के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Balanced regional development is quite essential for economic progress and political stability in a country like India. Discuss the statement in light of 'Transformation of Aspirational Districts' programme. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

समावेशी विकास की अवधारणा सभी वर्गों के लोगों, सभी भौगोलिक क्षेत्रों तथा सभी आर्थिक क्षेत्रों के विकास को समाहित करती है।
आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उठाया गया कदम है।

आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम -

(i) देश के गरीब 115 जिलों का नीति आयोग, गृह मंत्रालय व अन्य मंत्रालयों द्वारा चयन।
(ii) सहयोग, प्रतिस्पर्धा, योजनाओं के अभिसरण जैसे 3 घटकों पर बल।
(iii) प्रगति आंकलन हेतु डेल्टा रैंकिंग
(iv) key performance indicators का प्रयोग।
(v) विभिन्न 28 राज्य व UT के संग शामिल

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

निहितार्थ

(i) पिछड़े क्षेत्रों के प्रति नवीन दृष्टिकोण। गरीब की बजाय आकांक्षी क्षेत्रों के रूप में देखा जाना।

(ii) इन क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता का अभी तक दोहन से वंचित रहना → दोहन न केवल क्षेत्र, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

(iii) इन क्षेत्रों से गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन → समावेशी, संतुलित, संधारणीय विकास संभव।

(iv) इन क्षेत्रों में प्रचुर कच्चे माल की उपलब्धता → औद्योगिक विकास को गति मिलेगी जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के क्षेत्र।

(v) ये जिले मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। अतः राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ाव

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

राजनीतिक अलगाव की समाप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

(vi) योजनाओं का लाभ जनता को मिलने से स्वस्थ राजनैतिक संस्कृति का विकास होगा।

(vii) संसदीय प्रणाली का प्रसार → चुनाव में बढ़ती भागीदारी मुद्दों को राष्ट्र के समक्ष उठा पायगी।

(viii) क्षेत्रीय विकास → आंतरिक संघर्षों में कमी से राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि होगी।

समस्या -

(i) अति प्रशासन।

(ii) अलगाव व विकास के मध्य संघर्ष।

(iii) अपर्याप्त पूंजी का आवंटन।

उपाय -

(i) तकनीकी का बेहतर प्रयोग।

(ii) क्षमता विकास पर बल।

(iii) outcome assessment व feed back का योजनाओं में प्रयोग।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

17. शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आगे बढ़ाने का एक संभावित मंच है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a potential platform to advance India's 'Connect Central Asia' policy. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

शंघाई सहयोग संगठन = 1996 में शंघाई-5 के नाम से गठित।

- 2001 में SCO के रूप में गठित।
- 2017 में भारत भी शामिल।
- मुख्यालय: बीजिंग।
- सदस्य राष्ट्र = 8

ईरान, अफगानिस्तान आदि को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा।

कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति: भारत द्वारा 2012 में मध्य एशियाई देशों से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु शुरू रणनीति।

- ऊर्जा, नाभिकीय पदार्थ, परिवहन, व्यापार, आतंकवाद उन्मूलन व प्रतिरोध जैसे तत्वों पर बल।
- संबंधों को रणनीतिक आयाम देने पर बल।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

SCO द्वारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में कार्य करना -

i) SCO में मध्य एशिया क्षेत्र के 4 राष्ट्र - उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान शामिल। अतः संबंधों को मजबूती मिलेगी।

ii) SCO के RATS Mechanism (उद्देश्य = चरमपंथ, आतंकवाद, अलगाववाद रोकथाम) का उपयोग कर भारत मध्य-एशियाई देशों से इस क्षेत्र में संबंध प्रगाढ़ बना सकता है। इससे आतंकवाद निरोध प्रयासों को गति मिलेगी।

iii) SCO के सैन्य अभ्यास में हिस्सेदारी। भारत की इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन, रणनीतिक परिस्थितियों के बीच में समझ का

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

और अधिक विकास होगा। इससे इन देशों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

(iv) आर्थिक मुद्दों पर सहमति → व्यापार विस्तार।

(v) कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने में मदद।

(vi) TAPI आदि परियोजनाओं को गति।

(vii) रूस-चीन की गतिविधियों पर निगरानी संभव। भारत इस क्षेत्र में अपनी नीति को आवश्यकतानुसार परिवर्तित व संशोधित कर अधिक उपयोगी बना सकेगा।

समस्या -

(i) चीन, रूस का इस क्षेत्र में दबदबा।

(ii) OBOR प्रोजेक्ट।

(iii) प्रवासी भारतीयों पर हमले की समस्या।

(iv) राजनैतिक अस्थिरता।

उपाय -

(i) दीर्घकालिक, बहुआयामी संबंधों पर बल दिया जाए।

(ii) अन्य संगठनों समझौतों - ASEM (1996), अश्गाबात (समझौता) को भी मजबूत बनाना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने में सार्क की विफलता ने क्षेत्रीय देशों को बिम्सटेक के रूप में एक व्यावहारिक विकल्प तलाशने हेतु प्रेरित किया है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द). 15

The failure of SAARC to nurture cooperation in South Asia has pushed regional players to explore BIMSTEC as a viable alternative. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

दक्षिण एशिया = शामिल राष्ट्र = भारत
पाकिस्तान नेपाल भूटान
बांग्लादेश मालदीव श्रीलंका
अफगानिस्तान।

इन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 1985 में सार्क का गठन किया गया।

मुख्यालय = काठमाण्डू (नेपाल)।

सहयोग बढ़ाने में सार्क की विफलता

(1) प्रमाण = a. निरंतर बढ़ते आपसी संघर्ष।
b. B सार्क वाहन समझौता।
विफल → BBIN प्रोजेक्ट।
c सार्क उपग्रह प्रक्षेपित नहीं → दक्षिण एशिया उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित।
d SAFTA का व्यवहारतः लागू नहीं पाना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(c) कारण = a. आपसी अविश्वास।
b. बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप।
c. विभिन्न विवाद - सीमा विवाद
नदीजल विवाद।

इसी कारण बिम्सटेक एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभरा।

शामिल राष्ट्र = भारत नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड श्रीलंका

गठन = 1997।
वर्तमान स्वरूप 2004 में।

मुख्यालय = ढाका।

बिम्सटेक अधिक व्यावहारिक कैसे?

(i) सार्क की विफलता के मुख्य कारक पाकिस्तान का शामिल न होना।

(ii) परंपरागत व ऐतिहासिक जुड़ाव जैसे सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध।

(iii) Blue economy के क्षेत्र में उभरती संभावनाओं के दोहन की क्षमता।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

iiv) भारत की नेतृत्वकारी क्षमता को सामान्यतः सभी देशों द्वारा स्वीकार किया जाना।

iv) आनिवान से संबंधों को मजबूत करने का भी रास्ता मिलना।

समस्या -

i) अभी तक FTA हस्ताक्षरित नहीं।

ii) वाहन समझौता भी हस्ताक्षरित नहीं।

iii) नियमित बैठकों का अभाव। मात्र 4 बैठकें ही संपन्न।

iv) भारत के प्रति Big Brother Syndrome की भावना।

उपाय -

i) काठमांडू घोषणा पत्र (2018) द्वारा संस्थानात्मक मजबूती के प्रयास।

ii) भारत द्वारा line of credit दिया जाना।

iii) व्यापार, कनेक्टिविटी में वृद्धि के प्रयास।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

19. भारत के लिये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) का क्या महत्त्व है? विशेष रूप से चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये इसके निहितार्थ का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

What is the significance of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) for India? Examine its implications for the Indian economy especially in the context of free trade agreement with China. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी =

10 आसियान राष्ट्र व उसके 6 FTA राष्ट्र (भारत, चीन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण कोरिया, जापान) के मध्य प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता।

- 2012 से वार्ता शुरू
- वर्तमान में भी वार्ता चल रही है।

भारत के लिए महत्व -

(i) आसियान राष्ट्रों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे → Act East Policy को गति मिलेगी

(ii) Blue economy के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा → कच्चे माल प्राप्ति, पर्यटन, परिवहन, अनुसंधान एवं शोध, तस्करी व अवैध व्यापार

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

नियंत्रण जैसे तत्वों को बल मिलेगा।

(iii) प्रवासी भारत भारतीयों के सेवा सेवक का प्रसार → विदेशी आय में वृद्धि।

(iv) बाह्य निवेश में वृद्धि → देश के भीतर रोजगार वृद्धि, Ease of doing business में सुधार को और गति मिलेगी।

(v) भविष्य के संभावित और बड़े FTAs में शामिल होने की संभावना बढ़ेगी। बाहरी विश्व के प्रति सुभेद्यता के प्रतिरोध की क्षमता बढ़ेगी।

(vi) चीन के शामिल होने से अर्थ की प्रतिसंतुलन में मदद।

चीन के भी शामिल होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव -

(i) सकारात्मक - a. चीन तक भारतीय माल पहुंच में वृद्धि।

b. अधिक निवेश, तकनीकी बाढ़ का आगमन।

c. आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार ... हाशिये में ... चाहिये। (Candidate ... write on th...

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(2) नकारात्मक → a. चीनी वस्तुओं की भारतीय बाजार में मांग बढ़ जाने की संभावना।
b. भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा और बढ़ेगा।
c. चीनी कंपनियों का भारत में प्रवेश → देशी उद्योगों का पतन व प्रतिस्पर्धी क्षमता में पिछड़ना।
d. पर्यावरणीय कानूनों की उपेक्षा से संधारणीय विकास को क्षति।
e. आसियान क्षेत्र में चीनी बाजार का विस्तार → भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे।
f. चीन के OBOR, CPEC प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। भारत पर दबाव बढ़ेगा।

इन्हीं कारण भारत-चीन के बीच विभिन्न मुद्दों पर विवाद बना हुआ है जैसे भारत की मांग कि निर्धारित आयात शुल्क में कमी प्रणाली को अपनाया जाए आदि।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

20. निरंतर हठधर्मिता दिखाते चीन के साथ संबंधों को बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उभरा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Dealing with an increasingly assertive China has emerged as one of the principal challenges of Indian foreign policy. Discuss in the context of China's growing influence in South Asian region. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

चीन की विदेश नीति आरंभ से ही आक्रामक प्रकार की है, जिसमें उसकी भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि; माओ व देन की रणनीति व आर्थिक विकास की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

चीन की इस रणनीति को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। यथा-

(i) पाकिस्तान: a. CPEC का निर्माण। POK से गुजरने के कारण भारत द्वारा विरोध जताने के बावजूद आगे बढ़ना।

b. ग्वादर बंदरगाह का निर्माण।

(ii) मालदीव: a. FTA करना।

b. मालदीव के एक द्वीप को खरीद लेना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) श्रीलंका = a. हंबनटोटा बंदरगाह पर अधिकार।
b. Debt trap diplomacy का प्रयोग।

(iv) बांग्लादेश = a. ढाका, चटगाँव में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार।

(v) नेपाल = a. माओवादियों को समर्थन देकर भारत में अशांति बढ़ाने की रणनीति।
b. नेपाल को अपनी ओर करने की रणनीति जैसे वित्त।

(vi) भूटान = a. डोकलाम विवाद आदि द्वारा दबाव बनाने की कोशिश।
b. आर्थिक सहायता की पेशकश किया जाना।

(vii) म्यांमार = a. चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे का निर्माण।
b. कोको, क्याकप्यू बंदरगाह पर नियंत्रण।

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

के समक्ष
भारत की चुनौती -

a. चीनी हठधर्मिता व बढ़ते विस्तार के कारण इस क्षेत्र में भारतीय प्रभाव का सीमित होते जाना।
b. इस क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता।
c. इस क्षेत्र में प्रभाव विस्तार का अन्य विवादों पर प्रभाव जैसे सीमा विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद।
d. चीन का पूर्ण विरोध भी संभव नहीं क्योंकि आर्थिक हित, रणनीतिक हित शामिल। पड़ोसी देश भी हैं।
e. आतंकवाद आदि मुद्दों पर सामंजस्य न बन पाना। जैसे मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का मामला।

उपाय-

i) रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करना।
ii) डी-हाइफनेशन नीति का पालन।
iii) इस क्षेत्र में अपनी soft power का विस्तार करना।
iv) अमेरिकी प्रभाव द्वारा प्रतिसंतुलन।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation